बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या–11/न०वि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)–05/2016...1166.....न०वि०आ०वि०, पटना, दिनांक–8/8/19

बिहार भवन उपविधि, 2014 के उपविधि–1(2)(v)(vi) में उपबंधित के अनुरूप राज्य सरकार एतद् द्वारा **पूर्णियाँ आयोजना क्षेत्र** के अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्रों में भवन सम्बन्धी क्रियाकलापों को विनियमित करने के उद्देश्य से बिहार भवन उपविधि, 2014 का कार्यान्वयन अधिसूचित करती है।

2. **पूर्णियाँ आयोजना क्षेत्र प्राधिकार** के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी इन ग्रामीण क्षेत्रों में भवन/लेआउट योजना के नक्शे की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।

3. इन क्षेत्रों में भवन योजना/लेआउट योजना के नक्शे की स्वीकृति हेतु आवेदन पूर्णियाँ आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे।

4. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी योजना की स्वीकृति के पूर्व आवश्यक जाँच/सत्यापन करेंगे एवं संतुष्ट हो लेंगे कि आवेदित योजना बिहार भवन उपविधि–2014, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 एवं बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप है।

5. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सम्यक सत्यापन एवं जाँच की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त भवन/लेआउट योजना के नक्शे को स्वीकृति प्रदान करेंगे।

6. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

7. पूर्णियाँ आयोजना क्षेत्र प्राधिकार में शामिल शहरी क्षेत्र में भवन/लेआउट योजना के नक्शे की स्वीकृति हेतु बिहार भवन उपविधि, 2014 पूर्व से प्रभावी है। इन शहरी क्षेत्रों में नक्शों की स्वीकृति हेतु सम्बन्धित मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी पूर्ववत् सक्षम प्राधिकार रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

6/8/2019

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–11/न०वि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)–05/2016 1166......./न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक–8/8/19

प्रतिलिपि–अध्यक्ष, पूर्णियाँ आयोजना क्षेत्र प्राधिकार–सह–प्रमण्डलीय आयुक्त, प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/उपाध्यक्ष, पूर्णियाँ आयोजना क्षेत्र प्राधिकार–सह जिलाधिकारी, पूर्णियाँ/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सदस्य सचिव, पूर्णियाँ आयोजना क्षेत्र प्राधिकार/सभी सदस्य, पूर्णियाँ आयोजना क्षेत्र प्राधिकार/सभी संबंधित अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/8/2019

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–11/न०वि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)–05/2016 ..1166../न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक–8/8/19

प्रतिलिपि–अधीक्षक सचिवालय, मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग, बिहार, पटना को सी०डी० के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि वे कृपया मुद्रित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6/8/2019

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–11/न०वि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)–05/2016 1166/न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक 8/8/19

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार–सह–अध्यक्ष, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड/सभी सदस्य, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/8/2019

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–11/न०वि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)–05/2016 1166/न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक 8/8/19

प्रतिलिपि– माननीय अध्यक्ष, भू–सम्पदा अपीलीय न्यायाधीकरण, बिहार, पटना/ अध्यक्ष, भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकार, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सभी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत/सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/8/2019

प्रधान सचिव